न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –02/2024

अनवान

1. श्रीमती कौशल्या बाई पुत्री नानूराम गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी ग्राम झरझनी, हाल निवास चन्द्रपुरिया झालरबावडी तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ, राजस्थान।
2. श्रीमती कान्ति बाई पुत्री नानूराम गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी ग्राम झरझनी, हाल निवास रेनखेडा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ, राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय, रावतभाटा।
2. श्री सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत झरझनी, पं0स0 भैंसरोड़गढ, तहसील रावतभाटा।
3. नानूराम पुत्र रामा उर्फ रूपा, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, पेशा काश्त निवासी ग्राम झरझनी हाल निवास झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ, राजस्थान।
4. सत्यनारायण पुत्र नानूराम, जाति गुर्जर, आयु बालिग, निवासी झरझनी।
5. श्रीमती निर्मला पत्नी सत्यनारायण, जाति गुर्जर, आयु बालिग, निवासी झरझनी।

–अप्रार्थीगण/विपक्षी

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 1090 दिनांक 27.05.2024 एवं इन्तकाल सं. 1091 दिनांक 27.05.2024 ग्राम पंचायत झरझनी

उपस्थित – श्री यशवन्त राय श्रीवास्तव अभिभाषक वादी
प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक संख्या 3,4,5

निर्णय दिनांक 25.03.2025

अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स ने यह अपील रेस्पोडेंटस के विरूद्ध इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम झरझनी प0ह0 झरझनी, भू.अ.नि. वड़ोदिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ राज. में जमाबंदी संवत् 2076–79 के अनुसार खाता संख्या 178 खसरा संख्या 1166, रकबा 1.5000 है0 लगानी 6.00 रू. एवं खाता संख्या 177 खसरा संख्या 1527/1257, रकबा 0.5400 है0 लगानी 8.10 रू., खसरा संख्या 1528/1260, रकबा 0.0800 है0 लगानी 0.08 रू. कुल किता 02, रकबा 0.6200 है0 लगानी 9.30 रू. अपीलाण्ट के पिता नानूराम पुत्र रामा उर्फ रूपा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त आराजियात मौरूसी जायदाद है जो कि हमारे बार दादा के समय से चली आ रही है। हम अपीलाण्ट के पिता अर्थात रेस्पोडेन्ट सं. 03 नानूराम जी नाम उक्त आराजियात विरासत से दर्ज हुई है उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं होकर मौरूसी होने से हम अपीलान्ट सं. 01 व 02 नानूराम जी की पुत्रियां होने से एवं कानूनी उत्तराधिकारी होने से उक्त आराजियात में हम अपीलान्ट का हक अधिकार विधि अनुसार निहित है, चूंकि उक्त दोनों खाते की आराजियात मौरूसी जायदाद होने से अकेले रेस्पोडेन्ट सं. 03 नानूराम जी को बेचान करने, रहन, दान, बख्शिश, आदि करने के अधिकार प्राप्त नहीं है इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं. 03 नानूराम जी ने उपरोक्त वर्णित ग्राम झरझनी की खाता संख्या 178 में आराजियात जिसका विवरण चरण संख्या 01 (अ) में अंकित है सम्पूर्ण आराजी रकबा 1.5000 है0 बिना हम अपीलाण्ट से पूछे व बिना हमारी स्वीकृति के रेस्पोडेण्ट संख्या 05 निर्मला पत्नी सत्यनारायण को बख्शीश कर बख्शीसनामा तस्दीक करवा लिया, इसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.05.14 09:53:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम झरझनी की खाता संख्या 177 में की आराजीयात जिसका विवरण चरण संख्या 01 (ब) में अंकित है सम्पूर्ण आराजी रकबा 0.6200 हैक्टेयर भी बिना हम अपीलाण्ट से पूछे व बिना हमारी स्वीकृति के रेस्पोडेण्ट संख्या 04 सत्यनारायण पुत्र नानूराम को बख्शीश कर बख्शीसनामा तस्दीक करवा लिया जो गैर कानूनी और नियम विरूदध होने से नल–एण्ड –वाईड है क्योंकि आराजियात मौरूसी होने से अकेले रेस्पोडेण्ट सं. 03 नानूराम को यह आराजीयात बख्शीश करने का अधिकार प्राप्त नहीं हैं बख्शीसनामा के आधार पर ही खाता सं. 178 में स्थित आराजी का नामांतरण संख्या 1090 दिनांक 27.05.2024 को रेस्पोण्डेट सं. 02 ग्राम पंचायत झरझनी में बिना जानकारी किये मारूसी कृषि आराजियात होने के बावजूद बख्शीसनामा के आधार पर नामांतरण निर्णित किया है जो विधिविरूदध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसी प्रकार खाता सं. 177 में स्थित आराजियात का नामातंरण संख्या 1091 दिनांक 27.05.2024 को रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ग्राम पंचायत झरझनी ने बिना जानकारी किये मारूसी कृषि आराजियात होने के बावजूद बख्शीसनामा के आधार पर नामांतरण निर्णित किया है वह भी विधिविरूदध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट सं. 02 ग्राम पंचायत झरझनी द्वारा निर्णित दोनो वादग्रस्त नामांतरण के आधार पर रेस्पोडेण्ट सं. 01 भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा द्वारा भी दोनों वादग्रस्त विधिविरूदध ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरण के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने की प्रक्रिया कर रखी है, हम अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट सं. 01 को उक्त वादग्रस्त आराजियात का नामांतरण निर्णित नहीं किये जाने हेतु दिनांक 06.06.2024 को कहा लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और नामांतरण फैसल की कार्यवाही प्रक्रिया में ले रखी है, चूंकि हम अपीलान्ट खातेदार रेस्पोडेण्ट सं. 03 की जायंदा पुत्रियां होने से एवं आराजीयात मौरूसी सम्पत्ति होने से हमारा उसमें बराबर का हक है, हम हमारे हक से महरूम हो रही है इसलिए हम अपीलान्ट को जानकारी होते ही श्रीमान् के समक्ष अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की गई है जो स्वीकार योग्य है। अंत में अपीलाण्टस ने निवेदन किया है कि ग्राम झरझनी प0ह0 झरझनी के नामांतरण संख्या 1090 एवं नामांतरण संख्या 1991 दिनांक 27.05.2004 जो कि ग्राम पंचायत झरझनी(रेस्पोडेण्टस संख्या 02) द्वारा निर्णित किया गयास को अपील इन्तकाल में वर्णित तथ्यों के प्रकाष में निरस्त किये जाने एवं रेस्पोडेण्टस संख्या 1 भूमिधारी जरिये तहसीलदार सा. को मौरूसी जायदाद का बख्शीसनामा के आधार पर नामांतरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किये जाने का आदेश व डिक्री जारी फरमावे एवं अन्य कोई दाद जो मुफीद हो वह भी अपीलाण्ट को दिलायी जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स संख्या 2 न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। रेस्पोडेण्टस संख्या 03,4,5 मय अधिवक्ता उपस्थित हो अपील में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब में कथन किया कि अपील इंतकाल की कॉलम संख्या 01 का जवाब है कि राजस्व रिकार्ड के मुताबिक कृषि भूमियां नानूराम पुत्र रामा उर्फ रूपा के खाते नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त कृषि भूमियां वर्तमान में जरिये बख्शीशनामा सत्यनारायण पुत्र नानूराम गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त कृषि भूमियां रेस्पोडेण्टस संख्या 03 व 04 के द्वारा श्रीमान उपपंजीयक महोदय चित्तौडगढ मुकाम रावतभाटा के यहा स्वस्थ चित मुद्रा में रेस्पोडेण्टस संख्या 04 के पक्ष में दिनांक 23.04.2024 को की है जो क्रम संख्या 202403388100394 पर इन्द्राज है तथा रेस्पोडेण्टस संख्या 05 के पक्ष में दिनांक 23.04.2024 को एक बख्शीशनामा किया था जो क्रम संख्या 202403388100395 पर इन्द्राज है तथा उक्त कृषि भूमियां रेस्पोडेण्टस संख्या 03 द्वारा 04 के पक्ष में रजिस्टर्ड पंजीयन करवाया है, जिसे सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को प्राप्त है, न्यायालय श्रीमान को रजिस्टर्ड बख्शीशनामे को शून्य घोषित करने का श्रवणाधिकार तथा क्षेत्राधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gegoriya
Date: 2025.05.14 09:53:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रथमदृष्टया ही अपील इंतकाल को अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावें। अपील इंतकाल की कॉलम संख्या 02 का जवाब है कि अपील इंतकाल की पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियों को रेस्पोडेण्टस संख्या 03 द्वारा काफी अंग मेहनत कर रूपया खर्च कर काबिल काश्त बनाया तथा रेस्पोडेण्टस संख्या 03 की उक्त कृषि भूमिया स्वअर्जित भूमियां है जिसे रहन बेचान करने के समस्त हक व अधिकार रेस्पोडेण्टस संख्या 03 को प्राप्त है तथा जो बख्शीशनामा तैयार किया गया है उसका क्षेत्राधिकार तथा श्रपणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त नही है, रजिस्टर्ड बख्शीशनामा को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है तथा इंतकाल संख्या 1090, 1091 दिनांक 27.05.2024 बख्शीशनामा दिनांक 23.04.2024 के आधार पर खुले है जिसे निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है इसलिए अपील इंतकाल अस्वीकार कर खारीज फरमाया जावें। अपील इंतकाल की कॉलम संख्या 3, 4, 5, 6 अस्वीकार होकर जवाब है कि रेस्पोडेण्टस संख्या 03 द्वारा रेस्पोडेण्टस संख्या 04 व 05 के पक्ष मे जो रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 23.04.2024 को श्रीमान उपपंजीयक महोदय भैंसरोडगढ मुकाम रावतभाटा के यहां पंजीकृत करवाया गया है जो सही होकर नामान्तरण संख्या 1090, 1091 तस्दीक किया गया है वह पूर्ण विधि की पालना करते हुए विधिसम्मत किया गया है, अंत में अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील इंतकाल न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार नहीं होने से तथा इंतकाल संख्या 1090, 1091 विधि सम्मत तरीके से पंजीकृत बख्शीशनामे के आधार पर तस्दीक किया गया है, इसलिए जवाब अपील इंतकाल स्वीकार कर अपीलाण्ट की अपील अस्वीकार कर खारीज फरमाई जावें।

तहसीलदार रावतभाटा द्वारा दिनांक 02.01.2025 से जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब अनुसार ग्राम झरझनी प0ह0 झरझनी के खाता संख्या 177 जमाबंदी सम्वत् 2076–79 आराजी संख्या 1527/1257 रकबा 0.54है0, आराजी संख्या 1528/1260 रकबा 0.08है0 तथा खाता संख्या 178 आराजी संख्या 1166 रकबा 1.50है0 भूमि नानूराम पिता रामा उर्फ रूपा गुर्जर निवासी झरझनी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। खातेदार नानूराम पुत्र रूपा गुर्जर द्वारा जरिए बख्शीशनामा दिनांक 23.04.2024 आराजी संख्या 1166 रकबा 1.50है0 को श्रीमती निर्मला पत्नि सत्यनारायण गुर्जर निवासी झरझनी के नाम बख्शीश किया गया जो कि नामान्तकरण संख्या 1090 दिनांक 27.05.2024 से निर्मला पत्नि सत्यनारायण गुर्जर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। इसी प्रकार आराजी संख्या 1527/1257 रकबा 0.54है0 एवं आराजी संख्या 1528/1260 रकवा 0.08है0 भूमि खातेदार नानूराम पिता रूपा गुर्जर द्वारा बख्शीशनामा दिनांक 23.04.2024 को सत्यनारायण पिता नानूराम गुर्जर निवासी झरझनी को बख्शीश किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 1091 दिनांक 27.05.2024 से सत्यनारायण पिता नानूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि होने से अपीलार्थी कौशल्या बाई पुत्री नानूराम एवं कान्तीबाई पुत्री नानूराम द्वारा उक्त नामान्तकरण को निरस्त किये जाने न्यायालय श्रीमान में अपील प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील में राजहीत निहित नहीं होने से उक्त निर्णित नामान्तकरण निरस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.05.14 09:53:26 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कि[illegible] की बहस पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावे[illegible] अनुसार ग्राम झरझनी प0ह0 झरझनी, [illegible] चित्तोडगढ राज. मे जमाबंदी संवत् 2076–79 के अनुसार खाता संख्या 178 खसरा संख्या 1166, रकबा 1.5000 है0 लगानी 6.00 रू. एवं खाता संख्या 177 [illegible] संख्या 1527/1257, रकबा 0.5400 है0 लगानी 8.10 रू., खसरा संख्या 1528/1260, रकबा 0.0800 है0 लगानी 0.08 रू. कुल किता 02, रकबा 0.6200 है0 लगानी 9.30 रू. अपीलाण्ट के पिता नानूराम पुत्र रामा उर्फ रूपा के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज रिकार्ड थी, उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि होना

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with OKEN Scanner

बताया है। रेस्पोडेण्टस संख्या 3,4,5 ने भी प्रस्तुत जवाब में भूमि पुश्तैनी होने का खण्डन नहीं किया है। अपीलाण्ट द्वारा दस्तावेजी सबूत में मृतक रूपा उर्फ रामा गुर्जर का पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया है जिसमें रूपा के पुत्र नानूराम है, नानूराम के 04 पुत्रीया गीता बाई, संतोष बाई, कौशल्या बाई, कान्ती बाई तथा एक पुत्र सत्यनारायण है। जिनमें से पुत्री संतोष बाई फौत हो चुकी है। उक्त विवादित कृषि भूमियां पुश्तैनी होने से नानूराम अपने पुत्र व उसकी पत्नि के नाम बख्शीशनामा किया है, जो विधि विरूद्ध होकर न्यायोचित नहीं होना प्रतित होता है। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा भी पक्षकारों को बिना किसी पूर्व सूचना दिये और सुनवाई का मौका दिये बिना ही जल्दबाजी में नामान्तकरण के जरिये राजस्व रिकार्ड में नानूराम के पुत्र व उसकी पत्नि के नाम दर्ज कर दिये और संबंधित प0ह0 ने भी बिना किसी उचित जांच व सुनवाई के एकतरफा कार्यवाही कर नामान्तकरण स्वीकृत किया, जो नियमों के प्रतिकूल प्रतीत होता है। जहां तक रेस्पोडेंट संख्या 3,4,5 का कथन है कि स्व0 नानूराम जी ने जरिए रजिस्टर्ड बख्शीशनामे के उक्त भूमि हम रेस्पोडेण्टस संख्या 4, 5 के नाम की है जो विधिसम्मत है, तो इस संबंध में न्यायालय का मानना है कि विवादित भूमि पुश्तैनी होकर नानूराम के सभी वारिसान का इस पर हक–हिस्सा है, अतः वर्तमान में मूल खातेदार नानूराम के ही नाम नामान्तकरण दर्ज किया जाना उचित है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवचनों के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत झरझनी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1090, 1091 दिनांक 27.05.2024 को निरस्त कर मूल खातेदार नानूराम के नाम पुनः दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा का भेजी जावे।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.05.14 09:53:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner